



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 13 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 23, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178 / XXXVI(3) / 2012 / 35(1) / 2012

देहरादून, 13 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012” पर दिनांक 11 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2012]

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये -

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरेसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।
- (2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न प्राविधानों के लिए भिन्न-भिन्न तिथि नियत की जा सकती है।
- धारा 2 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में -
- (1) धारा 2 की उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-
- “(7) ‘नैमित्तिक ब्योहारी’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी अवधि जो एक समय में 60 दिन या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि विहित किया जाये, से कम हो, में कर्त्ता, अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य हैसियत से माल का कय, विकय, सम्भरण अथवा वितरण का यदा कदा संव्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है, या उत्तराखण्ड राज्य में कोई प्रदर्शनी के साथ विक्रय का संचालन करता है, चाहे यह नकद, या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया गया हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :-
- (क) ऐसा परिवहनकर्त्ता, जैसा कि धारा 2 के खण्ड (49) में विनिर्दिष्ट है, या ऐसा परिवहन अभिकर्त्ता, जिसका उत्तराखण्ड में नियत स्थान हो अथवा न हो, और जो, किसी व्यक्ति के माल को परिवहन से पहले अथवा परिवहन के बाद या परिवहन के दौरान अपनी सुपुर्दगी में रखता हो, उत्तराखण्ड में ऐसे माल के परेषक या परेषिती का नाम बताने में असफल रहता है, अथवा ऐसे माल के बीजक/चालान की प्रति, माल की रसीद/बिल्टी या परेषण पत्र या माल के सम्बन्ध में इसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) भण्डारागार का स्वामी या पट्टेदार या अधिष्ठाता, जो अपने भण्डारागार में रखे गये किसी माल के स्वामी का नाम व पता बताने में असफल रहता है, या यह सन्तुष्टि कराने में असफल रहता है कि ऐसा माल उसके अपने प्रयोग या उपभोग के लिये है; तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे परिवहनकर्ता, परिवहन अभिकर्ता या भण्डारागार का स्वामी या पट्टेदार या अधिष्ठाता द्वारा ऐसा माल अपने निजी लेखे में खरीदा गया है।”

(2) धारा 2 के खण्ड (13) के बाद निम्नलिखित खण्ड (13-क) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :-

“(13-क) “हक का दस्तावेज” का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जो माल का हक प्रदान करता है और इसमें वहन-पत्र, डाक वारंट, माल की रसीद/बिल्टी, रेलवे रसीद, भण्डारागारपाल का प्रमाण पत्र, वारंट या माल के परिदान का आदेश और व्यापार के दौरान माल के कब्जे या नियंत्रण के साक्ष्य के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज, या ऐसा दस्तावेज जो पृष्ठांकन के द्वारा या परिदान के द्वारा दस्तावेज के धारक को दस्तावेज में रूपित माल का हस्तांतरण करने अथवा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता है या प्राधिकृत करने को तात्पर्यित करता है।”

(3) धारा 2 के खण्ड (16) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

“(16) “आयातकर्ता” का तात्पर्य, किसी माल के सम्बन्ध में, ऐसे व्यौहारी से है, जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर माल लाता अथवा प्राप्त करता है और इसमें ऐसा व्यौहारी भी सम्मिलित है :-

(क) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल लाकर या प्राप्त करके उसकी प्रथम बिक्री करता है; या

(ख) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के अन्दर, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, माल प्राप्त करता है; या

(ग) जिसकी ओर से राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर लाया गया माल, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्राप्त किया गया है।”

(4) धारा 2 के खण्ड (16) के बाद निम्नलिखित खण्ड (16-क) रख दिया जायेगा; अर्थात्-

“(16-क) “आयात” का तात्पर्य, राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से खरीदकर या अन्य विधा के परिणामस्वरूप माल का लाया जाना या प्राप्त किया जाना है।”

(5) धारा 2 के खण्ड (57) के बाद निम्नलिखित एक नया खण्ड (58) रख दिया जायेगा; अर्थात्-

“(58) “वेबसाइट” का तात्पर्य वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://comtax.uk.gov.in> जिसका डोमेन (domain) uk.nic.in है या ऐसी अन्य वेबसाइट से है जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित की जाय।”

- धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 4-क जोड़ दी जायेगी; अर्थात् :-
- “4-क. कतिपय धारा 3 एवं धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सामान के वर्ग सरकार सम्पूर्ण राज्य या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में पर भार, कतिपय सामान अथवा कतिपय सामान के वर्ग पर सामान परिमाण, माप की खरीद-बिक्री पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ, या इकाई के जैसा कि अधिसूचित की जाय, माल के भार, मात्रा, आधार पर कर परिमाण, माप या इकाई के आधार पर अधिसूचना के द्वारा का उद्ग्रहण : देय कर की धनराशि अभिनिश्चित कर सकती है।”
- धारा 35 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में आए शब्द “चार प्रतिशत” के स्थान पर शब्द “छः प्रतिशत” रख दिये जायेंगे।
- धारा 42 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 42 के बाद निम्नलिखित नयी धाराएँ 42-क और धारा 42-ख जोड़ दिये जायेंगे; अर्थात्—
- “42-क. माल के किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी संचलन में साथ या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या ले जाय जाने यान अथवा माल का प्रमारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति वाले दस्तावेज हो, कोई माल, ऐसी मात्रा या माप या कीमत से एवं दी जाने अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित वाली सूचनाएँ करे, के संचलन का इरादा रखता है, तो वह माल के संचलन से पूर्व इस सम्बन्ध में ऐसे दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें ऐसी सूचनाएँ निहित हों, जैसा कि विहित किया जाय, और ऐसी सूचनाओं को ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारूप और तरीके और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा और माल के संचलन के दौरान ऐसा दस्तावेज तथा बीजक/ चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/ जी0आर0/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज अपने साथ रखेगा।

42—ख. माल निकासी, (1) प्रत्येक निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या अग्रेषण या बुकिंग दलाल या माल परिवहनकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति अभिकर्ता या माल जिसका राज्य में, ऐसे कारबार का, अपना स्थान है, परिवहनकर्ता पर और जो अपने कारबार के दौरान किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल के हक के दस्तावेज सम्भालता है, या किसी व्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल का परिवहन करता है, या उसका परिदान लेता है, राज्य के भीतर अपने व्यापार के स्थान एवं माल के परिवहन के लिये अपने स्वामित्व के वाहनों या भाड़े पर लिये गये वाहनों की सूचना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि में, जैसा कि विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक ऐसा अभिकर्ता या व्यक्ति परिवहित, परिदत्त अथवा परिवहन के लिये प्राप्त किये गये माल के सम्व्यवहार से सम्बन्धित ऐसी सूचनाओं से युक्त, जैसा कि विहित किया जाय, पूर्ण एवं सत्य अभिलेख तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति रखेगा और ऐसे प्रारूप एवं ऐसी रीति के अनुसार एवं ऐसी अवधि में जैसा कि विहित किया जाय, किसी व्यौहारी या व्यक्ति के माल के सम्व्यवहार से सम्बन्धित सत्य एवं पूर्ण विशिष्टियों एवं सूचनाओं को तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति को कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उल्लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, जब भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति कथित उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों का उल्लंघन करता है, तो उपधारा (1) उपधारा (2) में उल्लिखित कोई प्राधिकारी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को सुनवायी का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रथम उल्लंघन के लिये एक हजार रुपये से अनधिक

धनराशि, और यदि उल्लंघन लगातार रहता है तो अपराध की निरंतरता अवधि में प्रत्येक दिवस के लिये दो सौ रुपये से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में जमा करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

- (4) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ऐसा कोई कार्य करता है, जिसकी परिणति कर के अपवंचन में होती है अथवा यदि ऐसे अपवंचन का पता नहीं चलता और समय से नहीं रोका जाता, तो करापवंचन हो गया होता, विहित प्राधिकारी उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त व्यौहारी अथवा व्यक्ति के सम्यवहार में ऐसे माल में अन्तर्ग्रस्त कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या माल पर आरोपणिय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में अदा करने को निर्देशित कर सकता है, ऐसे मामले में उपधारा (1) में उल्लिखित अभिकर्ता या व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए व्यौहारी समझा जायेगा और वह इस प्रकार अपवंचित कर अथवा ईप्सित अपवंचित कर को जमा करने का दायी होगा। इस प्रकार आरोपित किया गया अर्थदण्ड और कर इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधानों अथवा उक्त समय में लागू अन्य विधि प्राविधानों के अन्तर्गत उसके दायित्वों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण :—

- (क) निकासी, अग्रेषण, बुकिंग एजेंट अथवा दलाल में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो रेलवे परिसर, एयर कार्गो काम्प्लैक्स, कन्टेनर डिपो, बुकिंग एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी कार्यालय अथवा माल का लदान करने या माल उतारे जाने का कोई स्थान या इस युक्ति के स्थान पर निकासी, अग्रेषण या बुकिंग या माल के परिदान की सेवाएँ देता है और किसी व्यौहारी की ओर से भी, ईनाम, कमिशन, पारिश्रमिक अथवा मूल्यवान प्रतिफल या अन्य के लिये सौदा या संविदा कराता है अथवा सम्पन्न करता है; और

(ख) माल परिवहनकर्ता व्यक्ति में स्वामी के अतिरिक्त मैनेजर, अभिकर्ता, ड्राइवर, स्वामी का कर्मचारी, माल के लदान व उतारे जाने के स्थान का प्रभारी या अन्य स्थानों को माल के प्रेषण के लिये ले जाये जा रहे यान का प्रभारी अथवा परेषिती को परेषित किये गये माल का परिदान देने वाला व्यक्ति सम्मिलित होगा।

(5) धारा 51 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तामिली के साठ दिन के अन्दर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा कि विहित किया जाय, अपील कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी अपील, उपधारा (3) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि की पचास प्रतिशत धनराशि या उपधारा (4) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि के पच्चीस प्रतिशत धनराशि की जमा के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी।”

धारा 43 का
संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 43 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 43क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्—

“43—क. राज्य के भीतर अथवा राज्य से राज्य के बाहर माल का संचलन

(1) धारा 43 में अन्य किसी बात के होते हुए भी किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक जैसा कि राज्य सरकार उसे निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य भीतर किसी स्थान के लिये या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुए राज्य में किसी स्थान के लिये माल के संचलन का इरादा रखता है तो माल के संचलन से पहले इस सम्बन्ध में वह विहित व्यक्तिगत क्रमांकित प्रारूप (जिसे

आगे लौरी चालान कहा गया है) तैयार करेगा जिसमें परेषक और परेषिती का नाम एवं पूर्ण पता माल का विवरण अथवा मात्रा, बीजक/ चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/ जी0आर0/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज एवं अन्य सूचनाएँ, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय;

परन्तु यह कि सरकार अधिसूचना के द्वारा माल के संचलन से पूर्व ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी कि अधिसूचना द्वारा विहित की जाय, विहित प्राधिकारी के समक्ष लौरी चालान की प्रस्तुति के लिये व्यवस्था कर सकती है।

(2)(क) परिवहनकर्ता, ऐसे लौरी चालान की अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रति और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ अपने साथ रखेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी की अपेक्षा पर किसी भी स्थान पर वाहन को रोकेगा और वाहन को माल व दस्तावेजों के साथ नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल और दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा :

परन्तु यह कि जहाँ माल राज्य के उसी स्थानीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा है, कमिश्नर कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ, जैसा कि वह उचित समझे, लौरी चालान अथवा हक के दस्तावेज रखे जाने की शर्त को शिथिल कर सकते हैं। यहाँ "स्थानीय क्षेत्र" से तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जैसा कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है।

(ख) परिवहनकर्ता ऐसे लौरी चालान की प्रति, ऐसी अवधि तक जैसी कि विहित की जाय, सुरक्षित रखेगा और, जब भी अपेक्षित हो, उसे प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने

पर वह प्रति लौरी चालान पाँच सौ रुपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा।

(3) जहाँ माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये है और ऐसा माल किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी वाहन में परिवहन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को लौरी चालान तैयार करने अथवा साथ रखने की आवश्यकता नहीं है।

(4) पूर्ववर्ती उपनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकारी यदि तलाशी या निरीक्षण करने के बाद सन्तुष्ट है कि—

(क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप और विहित रीति में लौरी चालान तैयार या प्रस्तुत किये बिना या ऐसे लौरी चालान को साथ रखे बिना माल का परिवहन कर रहा है, या परिवहन करने का प्रयत्न, या दुष्प्रेरण कर रहा है, जिस पर यह धारा लागू होती है; या

(ख) परिवहनकर्ता माल से सम्बन्धित बीजक/चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/ जी०आर०/ बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज के बिना माल परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण कर रहा है; या

(ग) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, लौरी चालान से अनाच्छादित है, तो वह—

(एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को जाँच होने तक, जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है;

(दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है।

(5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती

उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा बिना लौरी चालान या अन्य विहित दस्तावेजों को साथ लिए, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल,

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है, और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया गया है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 43 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी।

(5)(ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल लौरी चालान से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल,

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है, और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 43 में किसी अन्य बात के होते हुए परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विटल या क्विटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी :

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, जहाँ धारा 43 (5) अथवा धारा 43 (7) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, उपधारा (5) (ख) में उल्लिखित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में उस परिवहनकर्ता से उपधारा (5) (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माँग नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा 43 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

- (6) वाहन का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये

पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर या अवसूलीय बैंक प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूति जमा करने पर, जैसा वह उचित समझे, वाहन छोड़ सकता है।

(8) धारा 51 अथवा धारा 53 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के अधीन परित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन प्रतिभूति के लिये आदेश के विरुद्ध, अर्थदण्ड अथवा प्रतिभूति की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा के साक्ष्य प्रस्तुत किये बगैर कोई अपील नहीं की जा सकेगी।”

धारा 47 का
हटाया जाना

7. मूल अधिनियम की धारा 47 हटा दी जायेगी।

धारा 48 का
संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी और तत्पश्चात् एक नयी धारा 48-क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्—

“(1) कोई व्यक्ति या व्यौहारी (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न कोई माल ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित करे, लाने या आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने कर निर्धारक प्राधिकारी से घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करेगा :

परन्तु यह कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजन के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है :

परन्तु यह और कि कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा प्राधिकृत करदाताओं का वर्ग कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा विहित सीरीज और क्रम संख्या के घोषणा पत्र स्वयं डाउनलोड कर सकता है और इस सम्बन्ध में बनाये गये अधिनियम एवं नियम के अनुसार उनका प्रयोग कर सकता है।

(2) जहाँ ऐसे माल का परेषण सड़क मार्ग से किया जाना है :-

(क) आयातकर्ता परेषक को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में देगा और ऐसा माल ले जाने वाला यान का स्वामी या संचालन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, अपने साथ विहित रूप में परेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा पत्र की प्रतियाँ और ऐसे अन्य दस्तावेज जो विहित किये जाय, ले जायेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा करने पर घोषणा पत्र की प्रतियाँ और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा;

(ख) आयातकर्ता उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ, जो उसे या उसके अभिकर्ता को दी गयी हैं, ऐसी अवधि तक संरक्षित रखेगा जैसा कि विहित किया जाय और उन्हें ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर करनिर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय।

(3) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जाता है तो माल लाने वाला व्यक्ति अपने साथ विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रखेगा और आयातकर्ता उसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी अवधि के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, पृष्ठांकन किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, और प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे मानों कि उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणा पत्र" के स्थान पर शब्द "प्रमाण पत्र" रखा गया हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, धारा 42 की उपधारा (1) उपधारा और (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा किये जाने पर वाहन को रोकेगा और उसे नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय या ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो तो उसे अपना नाम और पता और यान के स्वामी या यान को भाड़े पर देने वाले का नाम व पता और माल के परेषक और परेषिती का नाम व पता भी देगा।

(6) इस धारा के अधीन यदि तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति या व्यौहारी पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट उचित और वास्तविक दस्तावेजों के बिना किसी ऐसे माल का आयात कर रहा है या आयात करने का प्रयत्न या आयात का दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है; तो वह —

(क) उपरोक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, माल की जांच किये जाने तक जो सात दिन की अवधि से अनधिक होगी, सामान को किसी भी प्रकार से विलग न करने, पुनः परिवहन न करने अथवा पुनः बुकिंग न किये जाने के निर्देश दे सकता है।

(ख) ऐसे माल को रोकने के आदेश दे सकता है और यदि यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायें यह समाधान हो जाता है कि ऐसे माल को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन के प्रयास में आयात किया जा रहा है तो वह ऐसे माल को अभिग्रहीत करने के आदेश दे सकता है :

परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन सम्पूर्ण अभिग्रहीत माल की एक सूची बनाई जायेगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे माल अभिग्रहीत किया गया है, दी जायेगी।

- (7) उपधारा (6) के अधीन माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी अभिरक्षा में माल की सुरक्षा के सभी उपाये करेंगे और उपधारा (6) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची, अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों सहित सम्बन्धित कर अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- (8) यदि ऐसे कर निर्धारण अधिकारी का, यान का स्वामी या संचालन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रमारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात समाधान हो जाये कि माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में इस धारा के प्राविधानों का उल्लंघन करके किया गया है, तो वह अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के इन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अधिरोपित करेगा। ऐसे आदेश की प्रति सम्यक रूप से तामील कराई जायेगी।
- (9) माल का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी, जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।
- (10) उपधारा (9) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छाड़ दिया जाये।
- (11) अर्थदण्ड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात शेष रह जाय, अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, जमा किया जायेगा। चूक करने पर करनिर्धारक प्राधिकारी माल का विक्रय ऐसी रीति से करायेगा जो विहित की जाय और उसका विक्रय-आगम अर्थदण्ड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, जैसी भी दशा हो, प्रमारी व्यक्ति को वापस कर देगा।

(12) जहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेज भेजने के पूर्व या तत्पश्चात करनिर्धारक प्राधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहाँ निर्धारित कर या, यथास्थिति, आरोपित अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या, यथास्थिति, करनिर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है। ऐसे माल के विक्रय-आगम का समायोजन ऐसे विक्रय के व्यय, निर्धारित, या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा। शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

(13) यदि उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (8) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि से अधिक हो, तो इस प्रकार जमा की गयी अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी;

स्पष्टीकरण 1 :- इस अध्याय के उद्देश्य से वाहन के प्रभारी व्यक्ति में, वाहन का स्वामी या वाहन को भाड़े पर लेने वाला, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण 2 :- इस अध्याय के उद्देश्य से "संचलन में माल" से अभिप्रेत है—

(क) ऐसा माल जो परिवहनकर्ता एजेन्सी या व्यक्ति अथवा ऐसे अन्य उपनिहिती के कब्जे में है अथवा नियंत्रण में है; या

(ख) ऐसा माल जो ऐसे मालस्वामी के स्वामित्व वाले वाहन में ले जाया जा रहा है; या

(ग) ऐसा माल जो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है।"

"48-क. राज्य के (1) धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह भीतर "ट्रिप सुनिश्चित करने के लिये कि इस अधिनियम के शीट" के अधीन देय कर का कोई अपवंचन नहीं हो रहा है, विरुद्ध माल किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी का या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या परिहवन यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा

कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रान्त के अन्दर परिवहन करने का इरादा रखता है, तो राज्य में प्रवेश करने से पूर्व विहित प्रारूप में (जिसे आगे ट्रिप शीट कहा गया है) सूचना तैयार करेगा और इसे ऐसी रीति से और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि कमिश्नर द्वारा कुछ परिस्थितियों में ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है।

(2) जहाँ ऐसे माल का परिवहन राज्य में सड़क मार्ग से किया जाना है :

(क) परिवहनकर्ता सम्यक् रूप से अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी ट्रिप शीट की प्रति तथा अन्य दस्तावेज, जैसा कि विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा और धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किसी भी स्थान पर ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, ले जायेगा और उसे तब तक खड़ा रखेगा जैसा कि अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे वाहन की तलाशी लेने देगा और माल, ट्रिप शीट और अन्य दस्तावेजों की जाँच करने देगा;

(ख) परिवहनकर्ता ऐसी ट्रिप शीट की प्रति, ऐसे समय तक, जैसा कि विहित किया जाय, सुरक्षित रखेगा और जब भी इस प्रकार अपेक्षा की जाय पुनः प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रत्येक ट्रिप शीट के लिये पाँच सौ रुपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा;

स्पष्टीकरण :- उन परिस्थितियों में जहाँ पर ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति का शिथिलीकरण किया गया है राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रिप शीट तैयार

करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे।

(3) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जा रहा है, वहाँ सामान लाने वाले व्यक्ति को ट्रिप शीट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) यदि उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी तलाशी अथवा जाँच करने के पश्चात् सन्तुष्ट हो जाय कि —

(क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप एवं रीति से ट्रिप शीट प्रस्तुत किये बिना अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिये बिना किसी माल का परिवहन, या परिवहन का प्रयास, या परिवहन का दुष्प्ररेण कर रहा है; या

(ख) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, ट्रिप शीट से अनाच्छादित है, तो वह—

(एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को माल के सत्यापन होने तक या जाँच होने तक जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है;

(दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है।

(5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ट्रिप शीट को ऑनलाइन (online) प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिए बिना, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता, अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी।

(5) (ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ऑनलाइन (online) प्रस्तुत की गयी ट्रिप शीट की प्रति के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल ट्रिप शीट से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची-1 में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का

अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी।

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, जहाँ धारा 48 (8) अथवा धारा 48 (9) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, इस उपधारा में संदर्भित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में ऐसे परिवहनकर्ता से उपधारा (5) (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माँग नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा 48 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

- (6) वाहन अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जायेगी जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो आरोपित किये जाने के लिये सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने का पर्याप्त हो, जिसके नकद जमा करने पर इस प्रकार अभिग्रहीत किया गया वाहन उस

व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन अभिग्रहीत किया गया है, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये।

(8) धारा 51 अथवा धारा 53 में किसी बात के रहते हुए भी उपधारा (5) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन पारित जमानत आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी जबतक कि सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि अथवा जमानत की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा करने के साक्ष्य प्रस्तुत न कर दिये जायें।

धारा 49 का 9.
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

“(1) जहाँ ऐसी मात्रा, माप या कीमत जैसा कि धारा 48 की उपधारा (1) के सन्दर्भ में अधिसूचित की जाय, से अधिक कोई माल (इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अनुसूची-1 में वर्णित माल को छोड़कर) रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाय तो आयातकर्ता—

(क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिये प्रस्तुत न दे या करवादे; और

(ख) छुड़ाने के पश्चात् माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तबतक न ले जायेगा और न ले जाने देगा जबतक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा पत्र की एक प्रति न हो :

परन्तु यह कि यदि पंजीकृत ब्यौहारी ने, माल को छुड़ाने से पूर्व अथवा छुड़वाने से पूर्व विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में माल के सम्बन्ध में ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत कर दी है और उस सूचना की इलैक्ट्रानिकली तैयार की गई हार्ड कापी माल के संचलन में साथ ले जायी गई है तो यह समझा जायेगा कि घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।

- (2) धारा 48 की उपधारा (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) और उपधारा (13) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित रेल, नदी, या डाक द्वारा पारेषित माल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि उस धारा के अधीन सड़क द्वारा माल के आयात पर लागू होते हैं।”

धारा 50 का
संशोधन

10.

मूल अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर पार्श्व शीर्षक सहित निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और धारा 50 के बाद एक नयी धारा 50-क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्—

- “50. ट्रांजिट पास (1) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आकर राज्य से के माध्यम से होते हुए राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को राज्य से जानेवाला धारा 48 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाला कोई यान राज्य से होकर गुजरे तब ऐसे यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, राज्य में प्रवेश करने से पहले कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप (जिसे आगे ट्रांजिट पास कहा गया है) में, जिसमें माल, यान, माल के हक के दस्तावेज/माल की रसीद/बिल्टी और माल के संचलन से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ साथ वे अन्य सूचनाएँ भी होंगी जो कमिश्नर द्वारा विहित की जाएँ, तैयार करेगा और इसे ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा। यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे माल को ले जाते समय अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ, माल के हक के दस्तावेज/माल की रसीद/बिल्टी और बीजक/बिल या चालान/इस तरह के अन्य

दस्तावेज अपने पास रखेगा और राज्य के बाहर जाने के बाद कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें, निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त राज्य से बाहर जाने अथवा अन्य राज्य में प्रवेश करने के साक्ष्य का विवरण, ऐसी रीति व समय के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए, देगा, तथा ऐसे अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाए, द्वारा अपेक्षा किए जाने पर माल के राज्य के बाहर चले जाने अथवा गन्तव्य राज्य में पहुँच जाने के सम्बन्ध में उसके सन्तोषानुसार साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जाने वाला माल राज्य के भीतर ही बेच दिया गया है:

परन्तु यह कि यदि ऐसे वाहन से ले जाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य वाहन से परिवहन करके राज्य के बाहर ले जाया जाय तो यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, उस वाहन, के प्रभारी व्यक्ति पर होगा, जिसके लिए ट्रांजिट पास प्रस्तुत किया गया था।

परन्तु यह और कि माल के राज्य के बाहर जाने की सूचना और ट्रांजिट पास की ऑनलाईन प्रस्तुति कमिश्नर द्वारा एक निश्चित अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है:

परन्तु यह भी कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई करपवंचन न हो, इस धारा में उल्लिखित वाहन ऐसे स्थानों, से ही राज्य के अन्दर प्रवेश करेगा तथा राज्य के बाहर जायेगा, जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किए जायें।

स्पष्टीकरण:— ऐसी परिस्थितियों में जहाँ ट्रांजिट पास का ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण शिथिल किया गया है, राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रांजिट पास तैयार करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे। ऐसे मामलों में राज्य से

बाहर जाने से पूर्व माल सहित वाहन कमिश्नर द्वारा अधिसूचित स्थान पर रोका जायेगा और ट्राजिट पास की एक प्रति कमिश्नर द्वारा इस प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जा रहा माल राज्य के अन्दर ही बेच दिया गया है।

(2) ऐसे मामले में जैसा कि उपरोक्त उपधारा में उल्लेख किया गया है, यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से इस अधिनियम के अधीन माल की उपधारित बिक्री पर देय कर और सम्भाव्य अर्थदण्ड की धनराशि के दायी होंगे।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन यह उपधारणा विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर माल बेचा गया है, पर माल के पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले माल के लिये इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पृथक रूप से कर निर्धारण किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस प्राविधान के आरम्भ होने के दिनांक के बाद उद्भूत हुए करनिर्धारण के मामलों में ही यह प्राविधान लागू होंगे :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड का आदेश सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

“50—क. निश्चित
अवधि के लिये
नाके (जाँच
चौकी) का
परिनिर्माण

इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के अपवचन रोकने अथवा जाँच करने के उद्देश्य से अथवा इस अध्याय के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर कतिपय परिस्थितियों में अधिसूचना जारी करके ऐसे स्थान या स्थानों, जैसा कि वह उचित समझे, जाँच चौकियों की स्थापना अथवा नाकों का परिनिर्माण कर सकता है और ऐसे संचलन में किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, जाँच चौकी या नाकों को पार करने

से पूर्व यान को रोकेगा और इस अध्याय के प्राविधानों के अनुसार माल के साथ ले जाए जाने वाले वांछित दस्तावेज इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अधिकारी को यान की तलाशी तथा माल एवं दस्तावेजों की जाँच करने देगा :

परन्तु यह कि धारा 50 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन, जहाँ राज्य के निकास के समीप स्थापित जाँच चौकियों अथवा नाकों पर जाँच चौकी अधिकारी के समक्ष ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी जिसमें से एक प्रति वाहन के राज्य से बाहर जाने के साक्ष्य के रूप में अधिकारी द्वारा वापस की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे वाहन द्वारा ले जाया जा रहा माल राज्य के भीतर बेच दिया गया है :

परन्तु यह और कि कमिश्नर एक बार में तीन माह से अधिक के लिये किसी जाँच चौकी की स्थापना अथवा नाके का परिनिर्माण नहीं कर सकेगा :

परन्तु यह अग्रेत्तर और भी कि कमिश्नर ऐसी जाँच चौकी की स्थापना अथवा नाके के परिनिर्माण के लिये जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन राज्य सरकार से करायेगा।"

धारा 51 का
संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

“(1) कर निर्धारण अधिकारी अथवा कर सम्प्रेक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या धारा 42 (ब) की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अन्तर्गत पारित आदेश से व्यथित कोई व्यौहारी अथवा अन्य व्यक्ति, निम्नलिखित को छोड़कर :—

(क) धारा 56 में वर्णित आदेश; या

(ख) धारा 43 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(ग) धारा 43-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(घ) धारा 48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(ङ) धारा 48-क की उपधारा (5) के अन्तर्गत पारित अभिग्रहण आदेश; या

(च) धारा 48-क की उपधारा (6) अथवा उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश ;

आदेश की प्रति की तामीली किए जाने के 60 दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय और वह अपील के ज्ञापन की एक प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी पर भी तामील करायेगा।”

- धारा 53 का संशोधन 12. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्—
- “(1) धारा 51 के अधीन पारित किसी आदेश (उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को छोड़कर), धारा 52 या धारा 76 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 57 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन, किसी निर्देश, या धारा 43-क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48 की उपधारा (10) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48-क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, विनिश्चय या निर्देश की उसके ऊपर तामीली के 90 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।
- स्पष्टीकरण :-** इस उपधारा के प्रयोजन हेतु कमिश्नर से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कोई ‘व्यक्ति’ पद में कमिश्नर सम्मिलित है और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्मिलित है।”
- धारा 56 का संशोधन 13. मूल अधिनियम की धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्—
- “अधोलिखित के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं होगा।
- (क) कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये जॉच प्रारम्भ करने हेतु धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 29 के अधीन कोई आदेश या नोटिस जारी नहीं किया जायेगा; या
- (ख) धारा 42 या धारा 43 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (4), उपधारा (7) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही; या
- (ग) धारा 43-क की उपधारा (2)(क) या उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश या विनिश्चय; या
- (घ) धारा 43-क की उपधारा (5) के अधीन पारित अभिग्रहण आदेश या अर्थदण्ड का नोटिस या अर्थदण्ड के लिये जारी नोटिस; या
- (ङ) धारा 43-क की उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश; या

- (च) धारा 25 की उपधारा (4) या धारा 25 की उपधारा (9) (ग) के अधीन पारित आदेश; या
- (छ) धारा 48 की उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश या निर्देश; या
- (ज) धारा 48-क की उपधारा (2)(ख) या उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश या निर्देश; या
- (झ) धारा 48-क की उपधारा (5) के अधीन जारी अर्थदण्ड का नोटिस; या
- (ञ) धारा 48-क की उपधारा (6) के अधीन पारित वाहन के अभिग्रहण का आदेश।”

धारा 58 का
संशोधन

14.

मूल अधिनियम की धारा 58 में -

- (क) उपधारा (1) के खण्ड (उन्नीस) के अपराध एवं दण्ड के प्राविधान हटा दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (1) के खण्ड (बीस), (इक्कीस) और (तेइस) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात् :-
- “(बीस) धारा 50 के अधीन स्थापित जॉच (बीस) रुपये दस हजार से चौकी अथवा नाके पर अथवा किसी अनधिक धनराशि अन्य स्थान पर धारा 42, 43, 43(क), 48(क) के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन को जॉच के लिये रोकने या खड़ा करने से इन्कार करता है या असफल रहता है।
- (इक्कीस) धारा 50 के प्राविधानों के अनुसार (इक्कीस) अन्तर्ग्रस्त माल की ट्रांजिट पास तैयार करने, प्रस्तुत (submit) करने अथवा साथ रखने में कीमत के 40 प्रतिशत से असफल रहता है, अथवा उसे धारा अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे 50-क के प्राविधानों के अनुसार माल पर आरोपणीय कर की परिदत्त नहीं करता है। तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो।
- (तेइस) किसी यान के स्वामी या संचलन में (तेइस) अन्तर्ग्रस्त माल की स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी के किन्हीं उपबन्धों के

स्थिति हो, द्वारा राज्य के अन्दर से होकर माल के अभिवहन के लिये ट्रांजिट पास तैयार करने अथवा प्रस्तुत करने के बाद, धारा 50-क के अधीन स्थापित जॉच चौकी के प्रभारी अथवा धारा 42 या धारा 43 में सशक्त अधिकारी के समक्ष माल सहित ट्रांजिट पास की प्रतियां प्रस्तुत(produce) नहीं करता है अथवा धारा 50 के प्राविधानों के अनुसार यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया जा चुका है।

अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो।”

धारा 59 का संशोधन 15. मूल अधिनियम की धारा 59 में –

- (क) उपधारा (10) में आए शब्द “दूसरे ब्यौहारी को” हटा दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (10) के खण्ड (क) में शब्द “चालान” के पश्चात शब्द “प्रत्येक क्रमांकित” संख्या एवं जारी करने की तारीख सहित,” अन्तर्विष्ट कर दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
अजय चौधरी,
अपर सचिव।

No. 178/XXXVI(3)/2012/35(1)/2012
Dated Dehradun, June 13, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2012’ (Adhiniyam Sankhya 09 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 June, 2012.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2012

(Act No. 09 of 2012)

An

Act

Further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty third year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its notification by the Government in official gazette and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of Section 2 2. In the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, (hereinafter referred to as the "Principal Act"-

(A) For the existing sub-section(7) of section 2, the following sub-section shall be substituted; namely-

(7) Casual dealer:

"Casual dealer" means a person who whether as principal, agent or in any other capacity, undertakes occasional transactions involving buying, selling, supplying or distributing goods or conducting any exhibition-cum-sale in the State of Uttarakhand, whether for cash or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration, for a period not exceeding 60 days at a time or such other period as may be **prescribed** and includes,

(a) a transporter as defined in sub-section(49) of section 2 or a transporting agent, whether he has fixed place of business in Uttarakhand or not, who, while holding goods in custody for any person before or after their transportation, or while carrying goods in his vehicle, fails to disclose the name and address of the consignor or consignee in Uttarakhand or fails to furnish a copy of invoice, challan, goods receipt (G.R)/bilty or consignment note or document of like nature in respect of such goods, or

(b) an owner or lessee or occupier of a warehouse who fails to disclose the name and address of the owner of any goods stored at his warehouse or fails to satisfy that such goods are for his personal

use or consumption, and such transporter, transporting agent or owner or lessee or occupier of a warehouse, shall be deemed to have purchased such goods on his own account.

(B) After existing sub-section (13) of section 2, the following sub-section (13A) shall be added; namely-

(13A) Document of Title :

“Document of Title” means, any document which confers a title of goods and includes a bill of lading, dock warrant, goods receipt/ bilty, railway receipt, warehouse keeper’s certificate, warrant or order for the delivery of goods and any other like document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or to receive goods thereby represented.

(C) For the existing sub-section (16) of Section 2, the following sub-section shall be substituted; namely-

Importer:

“Importer” in relation to any goods means a dealer who brings or receives any goods into the State from any place outside the State and includes a dealer-

- (i) who makes first sale of any goods brought or received into the State from any place outside the State; or
- (ii) who receives any goods into the State on behalf of any other persons from any place outside the State; or
- (iii) on whose behalf any goods are received into the State from any place outside the State by any other person;

(D) After the sub-section (16) of Section 2, the following sub-section(16A) shall be added; namely-

(16A) Import :

“Import” means bringing or receiving of goods. into the State from outside the State or from outside the country, as a result of purchase or otherwise.

(E) After the sub-section (57) of Section 2, the following sub-section(58) shall be added; namely-

(58) Web site :

“Web site” means, world wide web of the department of commercial tax, Uttarakhand with domain “uk.nic.in” and with address <http://comtax.uk.gov.in> or any other website as may be notified by the Commissioner.

Amendment of Section 4 3. After the existing section 4 of the “Principal Act”, the following section 4A shall be added; namely-

4A. Levy of tax by weight volume, measurement or unit on certain goods :

Notwithstanding anything contained in Section 3 and Section 4, the State Government may, by notification, fix the amount of tax payable on the sale or purchase of certain goods or a class of goods in respect of a specified area or whole of the State, on the basis of weight, volume, measurement or unit, and subject to such terms and condition as may be notified.

Amendment of Section 35 4. In section 35 of the “Principal Act”, for the words “an amount equal to four percent” occurring in line no. 7 of sub-section (1) of section 35, the words “an amount equal to six percent” shall be substituted.

Amendment of Section 42 5. After the existing section 42 of the “Principal Act”, the following section (42A) and (42B) shall be added; namely-

42A. Documents to be carried and information to be given regarding goods in movement :

The owner or a person duly **authorized** by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, who **intends the movement of goods**, exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the state Government in that behalf shall, before movement of goods prepare such documents containing such information in this regard as may be, **prescribed** and submit such information to such authority in such form and manner within such time as may be, **prescribed** and during the movement of goods shall carry with him such document and invoice/ challan (as applicable), and document of title to goods/ GR/ Bilty or like other such documents .

42B. Control on clearing, forwarding or booking agent and any person transporting goods:

- (1) Every clearing, forwarding or booking agent or broker or any other person transporting goods, who in the course of his business handles documents of title to goods **or transports goods or takes delivery of goods** for or on behalf of a dealer or a person **and having his place of business in the State** shall, furnish information about his place of business in the State and also about vehicles or carriers owned or hired by him for transportation of goods to such authority in such form and manner and within such time as may be **prescribed**.
- (2) Every such agent or person referred to in sub-section (1) shall maintain true and complete record of the goods transported, delivered, or received for transport, containing such information as may be **prescribed** and the copy of documents of title relating thereto and shall furnish true and complete particulars and information relating to the transaction of goods of any dealer or person to the officer who is **authorized** for this purpose by the commissioner in such form and manner within such time as may be **prescribed** and shall produce the said record and the documents before such officer as and when required.
- (3) Any agent or person referred to in sub-section (1) who contravenes the provisions of the said sub-section (1) or sub-section (2), the authority referred to in sub section(1) or (2) may, after giving such agent or person an opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty an amount not exceeding one thousand rupees for the first contravention and if the contravention is continuing one with a penalty not exceeding two hundred rupees for everyday during which the offence continues.
- (4) Any agent or person referred to in sub-section (1) does anything directly or indirectly, which results in evasion of tax or would have resulted in evasion of tax if such evasion was not detected and prevented in time, the **prescribed** authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty an amount not exceeding forty percent of the value of such goods involved in the transactions of a dealer or a person

or three times the tax, leviable on such goods, which appears to have been evaded or so sought to be evaded, whichever is higher. In such case, the agent or person referred to in sub-section (1), notwithstanding anything contained in this Act, shall be deemed to be a dealer and he shall also be liable to pay the tax so evaded or so sought to be evaded. The penalty and tax so imposed shall be without prejudice to his liability under any other provision of this Act or under any other law for the time being in force.

Explanation:

(i) "Clearing, forwarding, booking agent or broker" shall include a person who renders his services for clearing, forwarding or booking of or taking delivery of consignment of goods at railway premises, air cargo complex, containers depot, booking agency, goods transport company office or any place of loading or unloading of goods or contrives, makes and concludes, bargains and contracts for or on behalf of any dealer for a fee, reward, commission, remuneration or other valuable consideration or otherwise. and;

(ii) "Person transporting goods" shall, besides the owner, include manager, agent, driver, employee of the owner, a person in-charge of a place of loading or unloading of goods or in charge of a goods carrier carrying such goods for dispatch to other places or gives delivery of any consignment of such goods to the consignee.

(5) Notwithstanding anything contained in Section 51, any person aggrieved by order of penalty passed under sub-section (3) or sub-section (4) of this section may, within 60 days from the date of service of the copy of the order, appeal to such authority as may be **prescribed**. Provided that such appeal shall lie only if the proof of deposit of 50% of the amount of penalty, imposed under sub-section (3) or 25% of the amount of penalty imposed under sub-section (4) of this section is submitted.

Amendment of Section 43 6. After existing section 43 of the "Principal Act", the following section 43A shall be added; namely-

43A. Movement of goods within the State or from State to outside the State :

- (1) Notwithstanding any thing contained in section-43 the owner or a person duly **authorized** by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be (**hereinafter referred to as the transporter**), who intends the movement of goods exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the state Government in that behalf, from any place in the state to any place outside state or from any place in the state to any other place in the State or from any place in the state to any other place in the State passing through any other State, **before movement of goods**, shall prepare information in this regard in the **prescribed** Form [hereinafter called the "Lorry Challan"] containing individual serialized number, the name and complete address of the consignor and consignee, quantity and description of goods, details of invoice/ challan (as applicable), and document of title to goods/ GR/ Bilty or like other such documents in respect of such goods and other information, in a manner. as may be **prescribed** :

Provided that the Govt., by a Notification, may provide for the submission of "Lorry Challan" to the **prescribed** authority before the movement of goods, in such form and in such manner, including online manner, as may be **prescribed** in the Notification.

- (2)(a) The **transporter** shall carry with him, the copy of such "Lorry Challan" duly signed by him and copy of other such documents and shall stop the vehicle, when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods and the documents :

Provided that where the goods are transported from one place to another falling within the same local area of the state the commissioner may relax the condition of carrying "Lorry-Challan" or documents of title to goods with certain conditions and restrictions as it may deem fit. Here the "local area" means the local area as defined in section-2 of Uttarakhand Entry Tax Act, 2008.

- (b) The **transporter** shall preserve the copy of such "Lorry Challan" for such period as may be **prescribed** and produce them whenever so required, **failing which he shall be liable to pay by way of penalty a sum of Rupees five hundred for each "Lorry Challan"**.
- (3) Where the goods are for personal use or consumption and such goods are transported by any person in his personal vehicle, such person need not prepare or carry "Lorry Challan"
- (4) The officer, referred to in preceding sub section, if after making search or inspection, is satisfied that;
- (i) the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods, to which this section applies, without preparing or submitting "Lorry-Challan" in the **prescribed** form and manner; or without carrying copy of such Lorry-Challan; or
- (ii) the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods, to which this section applies, without carrying invoice/ challan (as applicable), and document of title to goods/ GR/ Bilty or like other such documents in respect of such goods.
- (iii) the weight/quantity or number of packages of goods being transported are uncovered by the Lorry-Challan; it may,
- (a) direct the person referred to in above sub section not to part with the goods in any manner including re-transporting or re-booking till an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
- (b) order **detention** of such vehicle along with the goods.
- (5) (a) if, at any stage, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without submitting Lorry Challan in the **prescribed** Form and manner or without carrying Lorry Challan or other **prescribed** documents and that, such goods are;
- (i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4; and

(ii) such goods were not meant for personal use or consumption;

it shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under the Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-43 the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods.

(b) if, at any stage, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported alongwith the copy of the Lorry Challan in the prescribed Form and manner, but any of the goods found in the vehicle were not covered by the "Lorry-Challan" and that, such goods are

(i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4 ;
and

(ii) such goods were not meant for personal use or consumption;

it shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-43, the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods :

Provided that, Govt. may by a notification issue general instruction not to demand penalty under sub-section 5(b) from the transporter in the circumstances where in pursuance of Section 43(5) or Section 43(7) the penalty or an amount sufficient to cover such penalty likely to be imposed has been deposited by such transporter referred to in sub-section 5(b). regarding the same goods :

Provided further that the State Government may by

Notification increase the amount of penalty **provided under this sub-section.**

Explanation-

for seizure and other actions regarding the goods referred to in this section, the provisions of section 43 shall mutatis- mutandis apply.

- (6) The officer seizing the vehicle shall serve on the Transporter, an order in writing mentioning the facts of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the vehicle so seized shall be released in favour of the person from whose possession or control the vehicle is seized.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that vehicle be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in form of irrevocable bank guarantee, as he may deem fit.
- (8) Notwithstanding anything contained in section (51) or (53), no appeal against the order of penalty passed under sub section (5) or order for security passed under sub-section (7) shall lie, unless the proof of deposit of entire amount of penalty or security as the case may be, is submitted.

Deletion of section 47

7. Section 47 of the "Principal Act" shall be deleted.

Amendment of Section 48

8. For the existing section 48 of the "Principal Act", the following section shall be substituted and a new section 48A shall be added: namely-

48. Import of Goods into the State against Declaration:

- (1) Any person or dealer (hereinafter in this Section referred to as importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place outside the State, any goods other than the goods specified in schedule (I) referred to in clause (a) of sub-section-(2) of section-4 exceeding such quantity or measure or of

such value as may be notified by the state Government in that behalf, shall obtain the **prescribed** form of declaration or certificate from his assessing authority;

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the **prescribed** form of certificate.

provided further that in case of the class of assesses, **authorized** by the commissioner Commercial Tax, may themselves download the declaration form of the series and serial no. as **prescribed** by the Commissioner, Commercial Tax and may use them in accordance with the Act and the rules made there under.

(2) Where such goods are to be consigned by road:

(a) The importer shall furnish to the consignor the declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him, and the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, shall carry with him the copies of such declaration duly verified by the consignor in the prescribed manner together with such other documents as may be prescribed and shall produce the copies of such declaration and such documents if so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section-42 at any place.

(b) the importer shall preserve the copies of declaration and other documents delivered to him or his agent under clause (a) for such period as may be **prescribed** and produce them before the assessing authority in a manner and within a time as may be **prescribed** by the Commissioner.

(3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the declaration in the **prescribed** form duly filled in and signed by the importer and the importer shall submit the same for endorsement by the officer authorised by the Commissioner in this behalf in a manner and within a time as may be prescribed by the Commissioner.

(4) Where any person intends to bring, import or otherwise receive in the State from any place outside the State, any goods referred to in sub-section (1) otherwise than in connection with business and

obtains the prescribed form of certificate, the provision of sub-section (2) and sub-section (3) shall, mutatis mutandis apply as if the word "certificate" is substituted for the word "declaration" used therein.

(5) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place, and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name address and the names and addresses of the owner or hirer of the vehicle and of the consigner and consignee of the goods.

(6) Where the officer making the search or inspection under this Section finds any person or dealer importing or attempting or abetting to Import any goods to which this section applies without being covered by proper and genuine documents referred to in the preceding sub-sections, it may;

(a) direct the person referred to in above sub section not to part the goods in any manner including re-transporting or re-booking till an enquiry is made, which shall not take more than seven days;

(b) order detention of such goods and if, for reasons to be recorded, is satisfied, after giving the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, an opportunity of being heard, that such goods were being so Imported in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, he may order **seizure** of such goods.

Provided that a list of all the goods seized under this sub-section shall be prepared by such officer and be signed by him, and a copy thereof shall be given to the person from whom goods have been seized.

- (7) The officers seizing the goods under sub section (6) shall take all the measures necessary for their safe custody and forward the list, referred to in the proviso of sub section(6) along with other document relating to the seizure, to the assessing officer concerned.
- (8) If such assessing officer, after taking into consideration the explanation, if any of the owner or a person duly **authorized** by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement as the case may be and after giving an opportunity of being heard is satisfied that the goods were imported or abetted to import in contravention of the provisions of this section in an attempt to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, it shall pass an order imposing penalty not exceeding forty percent of the value of such goods involved or three times the tax leviable on such goods under any of provisions of this Act, whichever is higher. The order of such penalty shall be properly served.
- (9) The officer seizing the goods shall serve on the person referred to in the above sub section, an order in writing mentioning the fact of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the goods so seized shall be released.
- (10) Notwithstanding anything contained in sub-section (9), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that the goods be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in such form other than cash, as he may deem fit.
- (11) The penalty or such part thereof as remains after adjustment of any amount deposited under sub-section (9) shall be deposited in the prescribed manner within thirty days of the date of service of the copy of the order imposing the penalty. In default, the Assessing Authority shall cause the goods to be sold in such manner as may be prescribed and apply sale proceed thereof toward the penalty and, subject to the provisions of Section 36, refund the balance, if any.

(12) Where the officer seizing the goods, before forwarding the list and other documents referred in sub-section (7) to the Assessing Authority at any time thereafter, is of the opinion that the goods are subject to speedy and natural decay or where the tax assessed or penalty imposed, as the case may be, is not deposited in accordance with the provisions of this Act, the officer seizing the goods or the Assessing Authority, as the case may be, may, without prejudice to any other action that may be taken in accordance with other provisions of this Act, cause the goods to be sold by public auction in the prescribed manner. The sale proceeds of such goods shall be adjusted towards the expenses and tax assessed or penalty imposed. The balance, if any, shall be refunded.

(13) If the amount deposited under sub-section (9) is more than the amount of penalty imposed under sub-section (8), the excess amount so deposited shall be refunded in accordance with the provisions of Section 36

Explanation -1

For the purpose this chapter the person-in-charge of the vehicle shall include the owner of the vehicle and the hirer of the vehicle as the case may be.

Explanation -2

For the purpose of this chapter "goods in movement" means.

- (a) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;
- (b) the goods which are being carried in a vehicle belonging to the owner of such goods; and
- (c) the goods which are being carried by a person.

48A. Transport of goods into the State against "Trip Sheet"

(1) Notwithstanding any thing contained in section-48 with a view to ensure that there is no evasion of tax payable under this Act the owner or a person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, (hereinafter referred to as the **transporter**) who intends to transport into the State from any place outside the State, any goods exceeding such quantity or measure or of such value as may be notified by the state Government in that behalf, before entering into

the state shall prepare and submit online information in a prescribed form (hereinafter called "Trip-Sheet") in such manner and within such time as may be prescribed.

provided that in certain circumstances, online submission of "Trip-Sheet" may be relaxed by the Commissioner for a specified period.

(2) Where such goods are transported into the State by road;

- (a) the transporter shall carry with him, the copy of such "Trip-Sheet" duly filled and signed by him and other documents as may be prescribed and shall stop the vehicle, when so required by an officer authorised under sub-section (1) or sub-section (2) of section 42, at any place and take it along with the goods and documents to the nearest office of Commercial Tax department or to any other place as directed by such officer and keep it stationary for so long as may be considered necessary by such officer and allow him to search the vehicle and inspect the goods, the "Trip-Sheet" and the other documents.
- (b) The transporter shall preserve the copy of such "Trip-Sheet" for such period as may be prescribed and produce it whenever so required, failing which he shall be liable to pay by way of penalty a sum of Rupees five hundred for each "Trip-Sheet".

Explanation:-

In the circumstances where online submission of "Trip-Sheet" is relaxed, the provision of preparation of "Trip-Sheet" before entering into the State and provision of carrying it during transportation shall remain effective.

- (3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them need not submit "Trip-Sheet".
- (4) The officer referred to in clause (a) of sub-section (2), if after making search or inspection is satisfied that;
 - (i)- the transporter is transporting or attempting or abetting to transport any goods to which this Section applies without submitting "Trip-Sheet" in the prescribed form and manner; or without carrying the copy of such "Trip-Sheet"; or
 - (ii) the weight/quantity or number of packages of goods being transported are uncovered by the "Trip-Sheet" it may,

- (a) direct the person referred to in above sub section not to part with the goods in any manner including re-transporting or re-booking till a verification is done or an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
 - (b) order detention of such vehicle along with the goods.
- (5) (a) if, **at any stage**, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported without online submitting "Trip-Sheet" in the prescribed form and manner or without carrying copy of such "Trip-Sheet", and that, such goods **are**;
- (i) the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4; and
 - (ii) such goods were not meant for personal use or consumption;
- it shall be deemed that such goods were so transported by **the transporter** in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-48 the transporter shall be liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods.
- (b) if, **at any stage**, such officer is satisfied, after giving the transporter an opportunity of being heard, that the goods referred to in previous sub section were transported **alongwith the copy of the Online submitted "Trip-Sheet"**, but any of the goods found in the vehicle were not covered by the "Trip-Sheet" and that, such goods are
- (i) **the goods other than the goods specified in schedule (1) referred to in clause (a) of sub-section (2) of Section-4; and**
 - (ii) **such goods were not meant for personal use or consumption, it shall be deemed that such goods were so transported in an attempt to facilitate or assist to evade assessment or payment of tax due or likely to be due under this Act, and, in such case, the officer may seize such vehicle by an order in writing and notwithstanding anything contained in section-48 the transporter shall be**

liable to pay by way of penalty an amount which shall be quantified at the rate of rupees five hundred for a quintal or part of a quintal of such goods.

Provided that, Govt. may by a notification issue general instruction not to demand penalty under sub-section 5(b) from the transporter in the circumstances where in pursuance of Section 48(8) or Section 48(9) the penalty or an amount sufficient to cover such penalty likely to be imposed has been deposited by such transporter referred to in sub-section 5(b), regarding the same goods.

Provided further that the State Government may by Notification increase the amount of penalty **provided under this sub-section.**

Explanation-

for the seizure and other action, regarding the goods referred to in this section, the provisions of section (48) shall mutatis-mutandis apply

- (6) The officer seizing the vehicle shall serve on the Transporter, an order in writing mentioning the facts of such seizure and indicating the amount, not exceeding such amount as would be sufficient to cover the penalty likely to be imposed, on the deposit whereof in cash, the vehicle so seized shall be released in favour of the person from whose possession or control the vehicle is seized.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), the Commissioner or such officer, not below the rank of Deputy Commissioner, as may be authorised in this behalf by the Commissioner, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct that vehicle be released without any deposit or on depositing such lesser amount, or furnishing security in form of irrevocable bank guarantee, as he may deem fit.
- (8) Notwithstanding anything contained in section(51) or (53), no appeal against the order of penalty passed under subsection(5) or order for security passed under subsection (7) shall lie, unless the proof of deposit of entire amount of penalty or security, as the case may be, is submitted.

Amendment of Section 49 9. For the existing section 49 of the "Principal Act", the following section shall be substituted; namely-

49. Import of Goods into the State by Rail, River, Air, or Post(Substituted):

(1) Where any goods other than the goods specified in schedule (I) referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 4 exceeding such quantity, measure or value as may be notified with reference to sub-section (1) of Section 48, are consigned by rail, river, air or post from any place outside the State, the importer shall not—

(a) obtain or cause to be obtained delivery thereof, unless he furnishes or causes to be furnished to such officer as may be authorised in this behalf by the Commissioner a declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him for endorsement by such officer; and

(b) after taking delivery, carry the goods away or cause the goods to be carried away from the railway station, steamer or boat station, air port or post office. as the case may be, unless a copy of declaration duly endorsed by such officer is carried with the goods :

Provided that if a registered dealer, before obtaining the delivery or causing to obtain delivery of the goods has online submitted the information, regarding the goods in a form prescribed by the Commissioner on the official website of the department and the to e-generated hard copy of such information is being carried during the movement of goods the dealer shall be deemed to have complied with the requirement, of endorsement of declaration form, made above.

(2) The provisions of sub-section (5), (6) and sub-section (7), (8), (9), (10), (11), (12) and (13) of Section 48 shall mutatis mutandis apply in respect of goods consigned by rail, river or post as they apply to import of goods by road under that Section.

Amendment of Section 50 10. For the existing section 50 of the "Principal Act", the following section shall be substituted and a new sub-section 50A shall be added: namely-

50. Transit of Goods by Road through the State against "Transit-Pass"

(1) Where a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State, carrying goods referred to in sub-section (1) of Section 48 passes through the State, the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be before entering into the state shall prepare and submit online declaration containing all the information regarding the goods, the vehicle, the document of the title to the goods/ GR/ bilty and the movement of goods and other information as required in the Form (hereinafter called "Transit-Pass") as may be prescribed by the Commissioner, complete in all respect in such manner and within such time as may be prescribed by the Commissioner. The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be while carrying such goods shall carry with him two copies of such "Transit Pass" duly signed by him, the document of the title to the goods/GR/bilty and invoice/bill or challan/ like document and after his exit from the state shall submit online declaration containing the description of the proof of crossing the state or reaching the other state and other information in a form, manner and within such time as may be prescribed by the Commissioner, and shall also submit, the satisfactory proof of crossing the State or reaching the destination State to such officer as may be authorised for this purpose by the Commissioner whenever so required by such officer failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the State :

Provided that where the goods carried by such vehicle are,

after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the onus of proving that the goods have actually moved outside the State shall be on the person-in-charge of the vehicle for which transit pass was prepared and submitted :

Provided further that in certain circumstances, online submission of "Transit-Pass" and of information regarding exit from the state may be relaxed by the Commissioner for a specified period :

Provided further that with a view to ensure that there is no evasion of tax the vehicle, referred to in this section shall enter into and exit from the State only from such places as notified by the Commissioner.

Explanation:-

In the circumstances where online submission of Transit Pass is relaxed, the provision of preparation of Transit Pass before entering into the State and the provision of carrying it during transportation shall remain effective. In such case before exit from the State the vehicle along with the goods shall be stopped at a place notified by the Commissioner and the copy of Transit Pass be submitted to the officer so authorised for this purpose by the Commissioner at a place notified by the commissioner, failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the State.

- (2) In such a case as referred to in the above sub section the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be shall jointly and severally be liable to pay tax on such presumed sale of goods and also for payment of amount of penalty that may be imposed under the provisions of this Act.
- (3) Every person for whom a presumption under sub-section (1) exists that the goods have been sold within the State, such person/s. shall

be assessed to tax on the goods covered by each Transit-Pass separately by the officer authorised for this purpose by the commissioner :

Provided that this provision shall apply only to the cases of assessment arising after the date of commencement of this provision :

Provided further that no order of assessment or penalty under this section shall be passed until a reasonable opportunity of being heard is given.

50A. Erection of barrier for certain period :

With a view to prevent or check evasion of tax payable under this Act or to ensure the compliance of the provisions of this chapter, Commissioner may, in certain circumstances, by an administrative order setup check posts or erect barriers at such place or places which it deems fit by issuing an administrative order and the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement as the case may be, before crossing such check-post or barrier shall stop the vehicle and produce before the officer authorised by the commissioner for this purpose, the documents which are required to be carried with the goods in accordance with the provisions of this chapter, and allow the officer to search the vehicle and inspect the goods and the documents :

Provided that, notwithstanding anything contained in sec-50, where the check post or barrier has been setup under this section at a place near the place of exit of the vehicle from the State, the two copies of the "Transit Pass" shall be produced before the check post officer, out of which one copy shall be returned by the officer as a proof of exit of the vehicle from the State, failing which it shall be presumed that the goods carried by such vehicle have been sold within the State :

Provided further that the Commissioner shall not setup any

check post or erect barriers for more than three month at a time :

Provided further that the commissioner shall get such an administrative order issued for setting up of such check post or erecting barriers, ratified by the Government

Amendment of Section 51 11. For the existing sub-section (1) of section 51 of the "Principal Act", the following sub-section shall be substituted; namely-

(1) First Appeal:

Any dealer or other person aggrieved by an order made by the Assessing authority or by an officer in charge of tax audit or any order passed under sub section (3) or sub-section(4) of section 42(B) other than,

(i) an order mentioned in section 56, or

(ii) an order passed under sub-section (8) of section 43, or

(iii) an order passed under sub-section (7) of section 43(A), or

(iv) an order passed under or sub-section (10) of Section 48; or

(v) an order of seizure passed under sub- section (5) of section 48(A); or

(vi) an order passed under sub-section (6) or sub-section (7) of section 48(A) may; within sixty days from the date of the service of the copy of the order, appeal to such authority as may be prescribed, and shall also serve a copy of the Memorandum of Appeal on the assessing authority.

Amendment of Section 53 12. For the existing sub-section (1) of section 53 of the "Principal Act", the following sub-section shall be substituted; namely-

"(1) Appeal to the Appellate Tribunal:

(1) Any person aggrieved by an order passed under section 51 (other than an order referred to under sub-section (2) of that section), under section 52, or under section 76, or a decision under section 57; or a direction under sub-section (8) of section 43; or an order passed under sub-section (7) of section 43(A); or an order passed under sub-section(10) of section 48; or an order passed under sub-

section (7) of section 48(A) may; within ninety days from the date of service of the copy of such order, decision or direction on him, prefer an appeal to the Tribunal:

Explanation:

For the purpose of this sub-section, the expression "any person" in relation to any order passed by an authority other than the Commissioner includes the Commissioner and, in relation to any order passed by the Commissioner includes the State Government."

Amendment of Section 56 13. For the existing section 56 of the "Principal Act", the following section shall be substituted; namely-

56. Orders against which No Appeal or Revision shall lie:

No appeal and no application for revision shall lie against-

(a) an order or notice under section 24, section 25, section 26 and section 29 initiating an enquiry for assessment or reassessment;

(b) an order or action under section 42 or sub-section (1), sub-section (2), sub-section (4), sub-section (7) of Section 43;

(c) an order or direction passed under sub-section 2(a) or sub-section (4) of Section 43-A; or

(d) an order of seizure passed or a notice for penalty issued under sub-section (5) of Section 43-A; or

(e) an order passed under sub-section (6) of Section 43-A

(f) an order under sub-section (4) of Section 25 or clause (c) of sub-section (9) of Section 25.

(g) an order or direction passed under sub-section (5), sub-section (6) and sub-section (9) of section 48; or

(h) an order or direction passed under sub-section 2(a) or sub-section (4) of Section 48-A; or

(i) a notice for penalty under sub-section (5) of section 48A; or

(j) an order of seizure of vehicle passed under sub-section (6) of section 48A.

Amendment of 14. In section 58 of the "Principal Act"-

Section 58

(a) Offence and Penalty provision of clause (xix) of sub-section (1) shall be deleted.

(b) For the existing clauses (xx), (xxi) and (xxiii) of sub-section(1), the following clauses shall be substituted; namely-

Section 58(1)

Offence

(xx) Fails or refuses to stop or keep stationary his vehicle for checking at a check post or barrier u/s 50-A or at any other place when so required to do so by an officer empowered u/s 42,43,43-A, 48 or 48-A

(xxi) Fails to prepare, submit or carry the "Transit Pass" as per provision of section-50 or to deliver the same as provided in section 50A

(xxiii) the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, after preparing or submitting "Transit Pass" for transit of goods through the State, fails to produce copies of the "Transit Pass" along with goods before the officer in-charge of the check-post setup u/s 50-A or before the officer empowered u/s 42 or 43 or fails to

Section 58(1)

Penalties

(xx) A sum not exceeding ten thousand rupees.

(xxi) A sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of the tax livable on such goods under any of the provisions of this Act, whichever is higher.

(xxiii) A sum not exceeding forty percent of the value of goods involved or three times of the tax livable on such goods under any of the provisions of this Act, whichever is higher.

prove that the goods have been
carried outside the State as per
provisions of Section 50;

Amendment of 15. In section 59 of the "Principal Act"-

Section 59

(a) The words "to another dealer" occurred in sub-section (10) shall be deleted.

(b) In clause (a) of sub-section (10), after the words "challan" the words "containing an individual serialized number and date of issue" shall be inserted.

By Order,

AJAY CHAUDHARY,
Additional Secretary.